28.10.20

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी अनु० न्यायालय के पुकारे जाने पर ना तो वादी ना ही वकील वादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये। अतः हस्तगत प्रकरण को अदम हाजिरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [illegible] से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 17:30:48 IST
Reason: SelfAttested